

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,  
सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. नगर आयुक्त,  
समस्त नगर निगम,  
उत्तर प्रदेश।
2. अधिशासी अधिकारी,  
समस्त नगर पालिका परिषद्/  
नगर पंचायत, उ०प्र०।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ: दिनांक: १९ फरवरी, २०१६

विषय: प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मोटर/बैट्री चालित रिक्षा योजना के अन्तर्गत मानव चालित रिक्षा के पंजीकरण हेतु सघन अभियान चलाया जाना।

महोदय,

राज्य सरकार के प्राथमिकता वाले कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों के मानव चालित रिक्षा चालकों को मोटर/बैट्री चालित रिक्षा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना कियान्वित की गयी है। उक्त योजना में ऐसे समस्त निजी स्वामित्व के रिक्षा चालक पात्र हैं, जो संबंधित नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के मूल निवासी हैं तथा संबंधित नगर निकाय में दिनांक 30-11-2014 तक औपचारिक रूप से पंजीकृत हैं। उक्त पात्रता क्षेत्र में आने वाले कुल 17982 पात्र लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक रिक्षा चालकों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 03 माह का सघन अभियान चलाकर रिक्षा चालकों का पंजीकरण कराया जाय, ताकि राज्य सरकार की उक्त महत्वाकांक्षी एवं लोकप्रिय योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक रिक्षा चालकों को निःशुल्क ई-रिक्षा प्रदान किया जा सके।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संबंधित नगर निकाय क्षेत्र में मानव चालित रिक्षा चालकों का पंजीकरण कराने हेतु तीन माह का सघन अभियान चलाया जाय। इसे सफल बनाने के लिये शहरी क्षेत्र में चल रहे रिक्षों की चेकिंग हेतु एक टीम गठित कर दी जाय, और संबंधित अधिनियम/नियमों के प्राविधानों के विरुद्ध चल रहे गैर पंजीकृत रिक्षों को प्रतिबन्धित करते हुए रिक्षा चालकों का पंजीकरण कराया जाय। कृपया इस अभियान में संबंधित जिला नगरीय विकास अभियान (डूडा) से समन्वय करते हुए अधिक से अधिक रिक्षा चालकों का पंजीकरण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
१४/२/२०१६  
(श्रीप्रकाश सिंह)  
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित :-

१- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, उ०प्र०, लखनऊ।

२- समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से  
लापता  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।